अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के विभागाध्यक्षों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कार्य योजना/वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों के सापेक्ष की गयी प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक 18.10.2023, 30.10.2023, 31.10.2023, 01.11.2023, 03.11.2023, 07.11.2023 एवं 08.11.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न अभिकरणों के विभागाध्यक्षों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कार्य योजना/वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों के सापेक्ष की गयी प्रगति के सम्बन्ध में निम्न निर्धारित बिन्दुओं पर ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण किया गयाः–

1– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कियान्वयन की प्रगति समीक्षा।

2– आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण की समीक्षा।

3– जनहित गारण्टी पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा।

4– निवेश मित्र एवं ओबीपीएएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा।

5– पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की समीक्षा।

6– ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में प्राप्त प्रस्तावों के कम में ग्राउण्ड ब्रेकिंग किये जाने की प्रगति समीक्षा।

7– अवैध निर्माण/अतिकमण के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन हेतु चलाये जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान की प्रगति समीक्षा।

8– अनाधिकृत कालोनियों के ध्वस्तीकरण/नियमितीकरण की समीक्षा।

9– अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण की समीक्षा।

10– सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की समीक्षा।

11– अर्बन लैण्ड सीलिंग से एक्सेज भूमि के कब्जे एवं लैंड बैंक की उपलब्धता की प्रगति समीक्षा।

12– लैण्ड ऑडिट/सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किये जाने की प्रगति समीक्षा।

13– निर्माण एवं विकास कार्यो की प्रगति समीक्षा।

14– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष अर्जित की गयी आय एवं व्यय की प्रगति समीक्षा।

15– वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन प्रगति की समीक्षा।

16– रेनवाटर हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों, 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों, पुराने जलाशयों के संरक्षण एवं नये जलाशयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यो के निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा।

17– अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना के कार्य की प्रगति समीक्षा।

18– शासन स्तर पर/शासन के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा।

19– प्राधिकरण/परिषद दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों/शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा।

20– मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिका/अवमाननावादों की समीक्षा।

21– विभिन्न शासकीय समितियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर आख्या उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा।

22– योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने की स्थिति की समीक्षा।

23– अभिकरण की ऑडिटेड बैलेंश शीट की स्थिति की समीक्षा।

24– अभिकरण के कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के समयान्तर्गत निस्तारण की समीक्षा।

25– सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के भुगतान की समीक्षा।

26– सिटी डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत चिन्हित "Bouquet Of Projects" के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा। (यदि लागू हो)

27– LEADS (Logistic Ease Across Different States)-2021 के अन्तर्गत लॉजिस्टिक योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा। (यदि लागू हो)

28– टी0डी0आर0 उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा।(यदि लागू हो)

29– टी0ओ0डी0 नीति के अन्तर्गत जोनल प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा। (यदि लागू हो)

30– प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही विशिष्ट परियोजनाएं।

31– शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा। (कास्ट एवं टाइम ओवर रन स्पष्ट किया जाये)

32– आई0टी0 रिफार्म्स।

33– प्राधिकरणों में समस्त भौतिक पत्रावलियां विशेषकर सम्पत्ति से सम्बन्धित पत्रावलियों को डिजीटाइज कराने की प्रगति।

34– वर्ष 2023 में अभिकरण द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण।

35– वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट का अनुमोदन।

36– प्राधिकरण द्वारा किए गये अभिनव प्रयोग।

37– अन्य बिन्दु।

दिनांक 18.10.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया:–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

1– कानपुर विकास प्राधिकरण:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत 06 परियोजानाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत सी0एस0एम0सी0 द्वारा कुल 14256 भवन स्वीकृत किये गये है, जिसके सापेक्ष 13168 भवन पूर्ण किये जा चुके है तथा 11403 भवन आंवटित किये जा चुके है एवं 1364 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि अवशेष भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय–सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये तथा कैम्प आयोजित करते हुए अधिक से अधिक भवनों का कब्जा दिया जाना सुनिश्चित

किया जाये।

2. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर 16 डिफाल्टर तथा 14 सी श्रेणी के प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर गुणवत्ता पूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जनहित पोर्टल पर प्राप्त कुल 1443 आवेदनों में से 1041 का समयान्तर्गत निस्तारण किया गया है तथा 127 प्रकरणों पर निस्तारण समयान्तर्गत नही किया गया है। निर्देश दिये गये कि पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मात्र 03 आवेदन प्राप्त हुये है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

5. नियोजन हेतु उपलब्ध 1781.812 हे0 भूमि, जोकि अधिकांशतः ग्राम समाज की है, का सत्यापन कराते हुये कब्जा प्राप्त कर इस पर नयी योजनाओं का नियोजन किया जाये।

6. लगभग 4000 अनिस्तारित फ्लैट्स को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

7. अर्बन सीलिंग रिपील होने के पूर्व के समस्त आदेशों एवं अभिलेखों के डिजिटाइज कराये जाने हेतु जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण से अनुरोध किया गया है। शीघ्र डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जाये।

8. निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 848.30 करोड़ के सापेक्ष रू0 112.66 करोड़ (13.28 प्रतिशत) का व्यय किया गया है जोकि अत्याधिक कम है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये। जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

9. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 1362. 21 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 262.96 प्राप्तियां की गयी है जोकि काफी कम है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

10. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित 1.00 लाख पौधों को रोपित किये जाने का लक्ष्य को पूर्ण किया जाये।

11. जीआईएस बेस्ड महायोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 15 नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये।

12. मा0 न्यायालयों में लम्बित अवशेष 40 प्रकरणों में तत्काल प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा विकसित कुल 111 आवासीय योजनाओं में से 91 आवासीय योजनाओं का हस्तान्तरण नगर निकायों को किया जा चुका है, 01 योजना का हस्तान्तरण आंशिक रूप से किया गया है एवं 19 योजनाएं हस्तान्तरण हेतु अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अवशेष 19 योजनाओं को अनुरक्षण हेतु 02 माह के अन्दर स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित कराया जाये।

14. प्राधिकरण में उपलब्ध 4.52 लाख पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य

पूर्ण किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि अवशेष फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह में पूर्ण कराया जाये तथा तत्पश्चात ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

15. सिटी डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत अल्प, मध्यम, दीर्घ कालिक योजनाओं का चयन करते हुए इनका क्रियान्वयन कराया जाये।

16. टीओडी नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.00 लाख वर्ग मीटर तल क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–योजना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

17. टीडीआर हेतु आईआईटी, कानपुर के माध्यम से तैयार किये जा रहे साफ्टवेयर का आगामी 15 दिवस में प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

18. कानपुर विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार के सम्बन्ध में शासन स्तर से वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

2– उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कुल 02 परियोजनाओं में 720 भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 624 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 624 भवनों का आवंटन किया जा चुका है। 96 भवनों हेतु भूमि चयनित की जा चुकी है। निर्देश दिये गये कि भवनों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु समय–सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये।

2. जनहित पोर्टल पर नामान्तरण के 40 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्ड ऑडिट/भौतिक सत्यापन का कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये गये कि लैण्ड ऑडिट एवं भौतिक सत्यापन का कार्य अधिकतम 03 माह में पूर्ण कराया जाये।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 3.00 करोड़ के सापेक्ष प्रगति शून्य है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी हैं, उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

6. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 80.48 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक 2.49 करोड़ (3.09 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

7. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष जितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

8. महायोजना में सम्मिलित उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत 10 आंशिक राजस्व गांव, जिन्हें यूपीसीडा द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है, को पुनः प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु उक्त अधिसूचना को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग के साथ शासन स्तर पर बैठक आयोजित करायी जाये।

9. शासन स्तर पर लम्बित भू–उपयोग परिवर्तन के 06 प्रकरणों में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये।

10. अवशेष 02 योजनाओं को अनुरक्षण हेतु 02 माह के अन्दर स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित कराया जाये।

11. प्राधिकरण में उपलब्ध 75 प्रतिशत पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह में पूर्ण कराया जाये तथा तत्पश्चात ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

12. वर्ष 2023 में मात्र 02 बोर्ड बैठक आयोजित हुई हैं। बोर्ड बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जाये।

3– गाजियाबाद विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 05 परियोजानाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 3496 भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 384 भवनों को पूर्ण किया जा चुका है तथा 2461 भवन आंवटित किये जा चुके हैं एवं एक भी भवन का कब्जा अभी तक लाभार्थियों को नही दिया गया है। निर्देश दिये गये कि अवशेष भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये तथा कैम्प आयोजित करते हुए अधिक से अधिक भवनों का कब्जा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न विभागों के स्तर से वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करायी जाये। निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कियान्वित की जा रही 11 परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन 6481 भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु समय सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये।

2. जनहित पोर्टल पर ऑन लाईन रिफण्ड के 214 तथा ऑन लाइन म्यूटेशन के 1078 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. प्राधिकरण में 2278 स्वीकृत मानचित्रों जिनमें पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, के सापेक्ष 06 मानचित्रों के पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये है। 2272 मानचित्रों के पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी 12.955 हेक्टेयर भूमि का नियोजन करते हुए इसका निस्तारण किया जाये तथा भूमि बैंक बढ़ाया जाये।

5. प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विकसित की गयी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन पूर्व में कराया गया था। वर्तमान में भी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर लखनऊ से कराया जा रहा है। 40 प्रतिशत सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण गठन से अद्यतन अर्जित की गयी भूमि का लैण्ड ऑडिट का कार्य पूर्ण कराया

जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 400.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 70.40 करोड़ का व्यय किया गया है, जोकि अत्यधिक कम है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी हैं उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

7. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 1206.13 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 395.63 (32.80 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी हैं। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

8. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

9. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही गाजियाबाद महायोजना–2031 के कार्य को प्रत्येक दशा में माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये।

10. प्राधिकरण के 10 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन हैं। निर्देश दिये गये कि इन प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित अनुभागों द्वारा समयबद्ध रूप से किया जाये।

11. अवशेष 07 योजनाओं को अनुरक्षण हेतु 02 माह के अन्दर स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित कराया जाये।

12. प्राधिकरण में उपलब्ध 131792 पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

13. LEADS के अन्तर्गत तैयार की जा रही लॉजिस्टक योजना को प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये।

14. टीओडी नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.00 लाख वर्ग मीटर तल क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–योजना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

4– रायबरेली विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कुल 335 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आन्तरिक विकास कार्य मात्र 30 प्रतिशत अवशेष है। वाह्य विकास कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है, जिसके कारण आंवटियों को भौतिक कब्जा दिया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। निर्देश दिये गये कि वाह्य विकास कार्य के सम्बन्ध में मुख्य सचिव स्तर पर सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित करायी जाये।

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक बढ़ाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। निर्देश दिये गये कि मा0

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 23.20 करोड़ के सापेक्ष
रू0 1.23 करोड़ व्यय किया गया है जोकि अत्याधिक कम है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी हैं उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 31.68 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 7.69 (25.00 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. अवशेष 02 योजनाओं को अनुरक्षण हेतु 02 माह के अन्दर स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित कराया जाये।

8. प्राधिकरण में उपलब्ध 4247 पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष 462 पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराते हुए ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

दिनांक 30.10.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गयाः–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

5– आगरा विकास प्राधिकरणः–

1. जनहित पोर्टल पर ऑन लाईन म्यूटेशन के 43 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्राप्त 80 प्रकरणों में से 26 प्रकरणों में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी 1.26 हेक्टेयर भूमि का नियोजन करते हुए इसका निस्तारण कराया जाये।

4. कुल 2415 अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

5. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सीलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 266.61 करोड़ के सापेक्ष 32.57 करोड़ (12.22 प्रतिशत) निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

9. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 617.68 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 269.70 करोड़ (43.66 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

10. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सापेक्ष असंतोषजनक पायी गयी निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

11. जूता मण्डी से सम्बन्धित प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार से सम्बन्धित प्रकरण पर वांछित आख्या शीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जाये।

12. मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित 05 याचिकाओं एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित 80 याचिकाओं में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किया जाना लम्बित है। निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा कुल 41 योजनाओं में से 35 योजनाएं स्थानीय नगर निकाय को हस्तान्तरित हैं। अवशेष 06 योजनाओं की सेवाओं के रख रखाओं की हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्देश दिये गये कि योजनाओं का स्थानीय निकायों का हस्तान्तरण प्राथमिकता पर कराया जाये।

14. प्राधिकरण में सम्पत्ति अनुभाग की 36851 पत्रावलियों के सापेक्ष 11200 पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अवशेष पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

15. LEADS के अन्तर्गत तैयार की जा रही लॉजिस्टक योजना को प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये।

16. टीओडी नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.00 लाख वर्ग मीटर तल क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–योजना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

6– आवास विकास परिषदः–

प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में परिषद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रगति की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पाई गयी। प्रस्तुतीकरण में परिषद से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ठीक से पक्ष न रखने तथा प्रगति सन्तोषजनक न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाकर योजनावार/बिन्दुवार टाइमलाइन निर्धारित करने तथा पूर्ण तैयारी के साथ परिषद का पक्ष रखने हेतु 15 दिन का

अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

7— वाराणसी विकास प्राधिकरणः—

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 02 परियोजनाओं में 858 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी। समस्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर आंवटन किया जा चुका है तथा 490 लाभर्थियों को कब्जा दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि अवशेष आवंटित भवनों का भी यथाशीघ्र लाभार्थियों को कब्जा दिलाया जाये।

2. जनहित पोर्टल गारण्टी पोर्टल पर नामान्तरण हेतु अवशेष 94 प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. नियोजन हेतु प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाये।

5. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सीलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 99.48 करोड़ के सापेक्ष रू0 30.12 करोड़ (30.28 प्रतिशत) है। निर्देश दिये गये कि जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है, उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

7. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 144.46 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 89.93 करोड़ (62.25 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

8. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

9. प्राधिकरण का 01 प्रकरण सेवानिवृत्तिक देयकों से सम्बन्धित, 02 प्रकरण भू—उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित, 01 प्रकरण भूमि अर्जन से सम्बन्धित शासन स्तर पर लम्बित है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सम्बन्धित अनुभागों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार से सम्बन्धित प्रकरण पर वांछित आख्या शीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जाये।

10. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 40 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

11. 02 आवासीय कालोनियां (लालपुर आवासीय योजना एवं रामनगर आवासीय योजना) अभी स्थानीय निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित नही हुई है। निर्देश दिये गये कि उक्त योजनाओं

को पूर्ण कर स्थानीय निकायों का हस्तान्तरण प्राथमिकता पर कराया जाये।

12. प्राधिकरण में उपलब्ध सभी पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रनिंग 32000 पत्रावलियों के स्कैनिंग का कार्य चल रहा है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठके दिनांक 03.02.2023 व 11.07.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

14. LEADS के अन्तर्गत तैयार की जा रही लॉजिस्टक योजना के कार्य का अनुबन्ध निरस्त किया गया है, इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनः नियमानुसार कन्सल्टेन्ट का चयन किया जाये।

15. अवैध निर्माण से सम्बन्धित जानकारी हेतु लागू Geotrics Software का प्रस्तुतीकरण प्राधिकरणों की आगामी समीक्षा बैठक में कराया जाये।

8— बांदा विकास प्राधिकरणः—

1. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर 12 शिकायतों का निस्तारण किया जाना लम्बित है। निर्देश दिये गये कि लम्बित शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. नियोजन हेतु प्राधिकरण में मात्र 0.88 हे0 भूमि उपलब्ध है जोकि नगण्य है। निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तुत की जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 36.72 करोड़ के सापेक्ष रू0 6.22 करोड़ (16.92 प्रतिशत) है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 63.92 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 39.04 (61.07 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. 02 आवासीय योजनाएं अभी स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नही हुई है। इन योजनाओं में विकास कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि उक्त योजनाओं को पूर्ण कर स्थानीय निकायों का हस्तान्तरण प्राथमिकता पर कराया जाये।

8. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की बांदा महायोजना–2031 पर शासकीय समिति द्वारा

दिये गये सुझावों के कम में संशोधित महायोजना प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2023 तक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

9. निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह में पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठकें दिनांक 05.04.2023 व 31.07.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

दिनांक 31.10.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया:–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिरकणवार निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

9– प्रयागराज विकास प्राधिकरण:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 04 परियोजनाओं में 1085 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है, जिसके सापेक्ष 388 भवन पूर्ण हो गये है तथा 697 भवन निर्माणाधीन है, जिसकी भौतिक प्रगति लगभग 80 प्रतिशत है। 526 भवनों का आवंटन किया गया है जिसके सापेक्ष 305 लाभार्थियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। निर्देश दिये गये कि निर्माणाधीन भवनों को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा कैम्प आयोजित करते हुए आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये।

2. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर लम्बित 28 शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. वर्ष 2023–24 में जनहित पोर्टल पर प्राप्त 127 प्रकरणों का निस्तारण किया जाना लम्बित है। निर्देश दिये गये कि जनहित पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

5. 571 अनिस्तारित फ्लैट्स को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

6. अर्बन सीलिंग से सम्बन्धित कब्जा प्राप्त भूमि का नियोजन किया जाये तथा इससे सम्बन्धित वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। नजूल की भूमि से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण, जहां लीज़ समाप्त हो गई है, का विवरण एकत्रित किया जाये तथा नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

7. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना प्रस्तुत की जाये।

8. प्राधिकरण की 64 योजनाओं में 33 योजनाओं का लैण्ड ऑडिट कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 31 योजनाओं का सत्यापन प्राधिकरण की टीम द्वारा किया जा चुका है। 02 योजनाओं में से सत्यापन का कार्य प्राधिकरण टीम द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा लैण्ड ऑडिट/भौतिक सत्यापन का कार्य 03 माह में पूर्ण कराया जाये।

9. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 728.45 करोड़ के

सापेक्ष 70.49 करोड़ (9.68 प्रतिशत) है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

10. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 987.16 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 260.42 (26.38 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

11. रूपटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

12. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की प्रयागराज महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

13. प्राधिकरण के विभिन्न प्रकार के 13 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सम्बन्धित अनुभागो द्वारा शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये। प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार से सम्बन्धित प्रकरण पर वांछित आख्या शीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जाये।

14. विभिन्न समितियों से सम्बन्धित प्रकरणों में ऐसे प्रकरण जो ड्राप होने योग्य हैं, पर शासन को शीघ्र आख्या उपलब्ध करायी जाये।

15. वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैलेन्सशीट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुए इस पर बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

16. सिटी डेवेलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत अल्पकालिक परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए इनका कियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

17. शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त निविदायें माह दिसम्बर, 2023 तक फाइनल कर दी जायें।

18. प्राधिकरण में सम्पत्ति से सम्बन्धित 20616 पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देश दिये गये कि अवशेष पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

19. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 01 बोर्ड बैठक दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

10– अयोध्या विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत एक परियोजना में 640 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है, जिसके सापेक्ष 384 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 362 भवनों का आंवटन किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये

जाने का प्रयास किया जाये।

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. नियोजन हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण में भूमि उपलब्ध नही है मा0 मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31.0980 हे0 भूमि पर आवासीय योजना विकसित की जा रही है, जिसमें 19 हे0 भूमि का किसानों से समझौते के आधार पर बैनामा पूर्ण कर लिया गया है। निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

4. निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा गठन से अद्यतन अब तक अर्जित लैण्ड बैंक का लैण्ड ऑडिट/भौतिक सत्यापन का कार्य 03 माह में पूर्ण कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त नजूल की भूमि का भी लैण्ड आडिट कराया जाये तथा बड़े भूखण्डों को चिन्हित किया जाये।

5. अवैध निर्माण से सम्बन्धित वादों के नोटिस प्रवर्तन पोर्टल से जारी किये जायें तथा लीगेसी डाटा को भी इस पोर्टल पर अंतरित किया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 88.39 करोड़ के सापेक्ष रू0 40.43 करोड़ (45.74 प्रतिशत) है। निर्देश दिये गये कि जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

7. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 103.92 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 24.40 (23.47 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

8. रूपटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

9. अयोध्या हेतु विस्तारित विकास क्षेत्र की महायोजना की संचरना का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये।

10. प्राधिकरण का मात्र 01 प्रकरण (अधिसंख्य पदों पर कार्यरत 02 कार्मिकों की निरन्तरता) से सम्बन्धित है। निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा उक्त प्रकरण का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाये।

11. प्राधिकरण द्वारा विकसित मात्र 01 योजना (साकेतपुरी) नगर निगम को हस्तान्तरित होना अवशेष है, जिसके हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये गये कि प्राथमिकता पर योजना का हस्तान्तरण कराया जाये।

12. शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का थर्ड पार्टी आडिट सुनिश्चित कराया जाये।

13. निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह में कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

14. निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित

की जाये।

11— मेरठ विकास प्राधिकरण:—

1. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत वर्तमान में 03 परियोजनाओं के अन्तर्गत समस्त 1088 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 1023 भवन आंवटित किये जा चुके है एवं 221 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दिया गया है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये।

2. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन से सम्बन्धित 248 तथा रिफण्ड से सम्बन्धित 38 प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. नियोजन हेतु लैण्ड बैंक अत्यन्त कम है, जिसे ब

5. वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 141.41 करोड़ के सापेक्ष रू. 34.78 करोड़ (24.60 प्रतिशत) का व्यय किया गया है जोकि अत्याधिक कम है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

6. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 325.15 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 159.70 करोड (49.11 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

7. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

8. प्राधिकरण के 02 प्रकरण शासन स्तर के लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि इन प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सम्बन्धित अनुभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

9. प्राधिकरण की समस्त योजनाओं को नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित किया जा चुका है, परन्तु लोहिया नगर, शताब्दी नगर तथा गंगा नगर विस्तार योजना में सीवेज नेटवर्क और एस0टी0पी0 का हस्तान्तरण किया जाना है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार कराया जाये।

10. सिटी डेवेलपमेन्ट प्लान को प्रत्येक दशा में माह नवम्बर, 2023 तक अंतिम रूप दिया जाये।

11. LEADS के अन्तर्गत तैयार की जा रही लॉजिस्टक योजना के कार्य का अनुबन्ध निरस्त किया गया है, इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु पुनः नियमानुसार कन्सल्टेन्ट का चयन किया जाये।

12. टी.ओ.डी. नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 में 1.00 लाख वर्ग मीटर तल क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य—योजना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा अर्बन सीलिंग से सम्बन्धित अभिलेख तथा 60 हजार पत्रावलियों के

स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 02 माह में पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

12– सहारनपुर विकास प्राधिकरणः–

1. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। अवगत कराया गया कि ग्राम चुनैटी गाडा, सैतपुरा तथा मुहल्ला बहलोलपुर में 52.28 हे0 भूमि पर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना शासन को प्रेषित की गयी। निर्देश दिये गये कि परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. अर्बन सीलिंग से सम्बन्धित कब्जा प्राप्त भूमि का नियोजन किया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 19.37 करोड़ के सापेक्ष 10.62 करोड़ (54.84 प्रतिशत) का व्यय किया गया है, जोकि संतोषजनक है।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 60.95 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 21.60 करोड (35.44 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की सहारनपुर महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

8. सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सीमा विस्तार तथा भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित 01 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागो द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

9. प्राधिकरण की 02 योजनाओं में से ट्रांसपोर्ट नगर योजना दिनांक 15.06.2020 को स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा रूद्राक्ष आवास योजना का विकास कार्य पूर्ण है, जिसे अनुरक्षण हेतु नगर निकाय को हस्तान्तरित किया जाना प्रकियाधीन है। निर्देश दिये गये कि प्राथमिकता पर रूद्राक्ष आवास योजना का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाये।

10. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसे 24.03.2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 02 माह में कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

13– मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 02 परियोजनाओं के अन्तर्गत 224 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 224 भवनों का निर्माण कार्य

प्रगति पर है। 224 भवनों का आंवटन किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये। निर्देश दिये गये कि अवशेष भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय–सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 30.05 करोड़ के सापेक्ष

रू.2.63 करोड़ (8.75 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 34.75 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 14.55 करोड (41.87 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

6. रूपटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की मुजफ्फरनगर महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 30.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

8. प्राधिकरण के 03 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन, जिसमें 01 प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन, 01 प्रकरण सेवा सम्बन्धित तथा 01 प्रकरण पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित हैं। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागो द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

9. प्राधिकरण की 02 योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के हस्तान्तरण हेतु नगर पालिका, मुजफ्फरनगर के साथ पत्राचार किया है। निर्देश दिये गये कि प्राथमिकता पर उक्त योजनाओं का हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जाये।

10. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य हेतु बिड प्राप्त की गयी है जिसका तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह के अन्दर कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

11. वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैलेन्सशीट का कार्य पूर्ण कराते हुए, इसे बोर्ड से अनुमोदित

कराया जाये।

12. प्राधिकरण में 17 अधिसंख्य पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर सम्बन्धित अनुभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 01 बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

14— हापुड़ विकास प्राधिकरणः—

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के 03 परियोजनाओं में 1622 भवनों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से 408 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है अवशेष भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 326 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि अवशेष भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय—सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये तथा पूर्ण भवनों पर आवंटियों को कब्जे की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करायी जाये।

2. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त 30 शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जनहित पोर्टल पर लम्बित 137 प्रकरणों समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

4. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

5. प्राधिकरण में नियोजन हेतु 13.63 हे0 भूमि नियोजन हेतु उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि उक्त भूमि पर नियमानुसार नियोजन कराते हुए योजना कियान्वित की जाये। उक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 98.60 करोड़ के सापेक्ष रू0 4.18 करोड़ (4.24 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

7. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 202.00 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 28.42 करोड़ (14.04 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

8. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

9. प्राधिकरण के 05 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन हैं, जिसमें 04 प्रकरण भू—उपयोग परिवर्तन, 01 प्रकरण सेवा से सम्बन्धित है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित

अनुभागो द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

10. वित्तीय वर्ष 2022–23 की बैलेन्सशीट का कार्य पूर्ण कराते हुए, इसे बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

11. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य प्रारम्भ नही किया गया है, इसे शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर 03 माह में पूर्ण कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

12 प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 19.06.2023 तथा 20.10.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

दिनांक 01.11.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणें द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया:–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

15– मुरादाबाद विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 06 परियोजनाओं के में 1712 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 1700 भवनों का आंवटन किया जा चुका है तथा 912 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये।

2. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन से सम्बन्धित 149 तथा रिफण्ड से सम्बन्धित 64 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल 12 आवेदन प्राप्त हुये है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. 1390 अनिस्तारित सम्पत्तियों को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

5. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सींलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

7. प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्ड ऑडिट/सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य प्राथमिकता पर माह जनवरी, 24 तक पूर्ण कराया जाये।

8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 137.35 करोड़ के सापेक्ष 19.29 करोड़ (14.04 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं

आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यों के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

9. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 224.80 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक 97.48 करोड़ (38.29 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

10. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षोरापण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

11. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

12. प्राधिकरण के 06 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है, जिसमें मुख्यतः महायोजना एवं सीमा विस्तार से सम्बन्धित है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागो द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

12. प्राधिकरण की 10 योजनाओं के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। 05 योजनाएं नगर निगम मुरादाबाद सीमा के बाहर होने के कारण इनका हस्तान्तरण सम्भव नही है। निर्देश दिये गये कि 10 योजनाओं के हस्तान्तरण हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाये।

13. प्राधिकरण में लागू ई–एकाउण्टिंग तथा ई–ऑक्शन माड्यूल का आगामी मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

14. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। 1.50 लाख पत्रावलियों के सापेक्ष 19408 पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर जनवरी, 2024 तक कराया जाय तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

15. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 28.03.2023 व 05.09.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

16– बरेली विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के 04 परियोजनाओं में 254 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 2344 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं में 03 परियोजनाएं निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही है, जिसमें 2344 भवन निर्मित किया जा रहा है। 2283 भवनों का आवंटन किया जा चुका है तथा 94 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि अवशेष भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय–सारणी तैयार कर उपलब्ध करायी जाये तथा कैम्प आयोजित करते हुए अधिक से अधिक भवनों का कब्जा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर 27 लम्बित शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन के 63 तथा रिफण्ड के 76 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मात्र 01 आवेदन प्राप्त हुआ है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

5. 318 अनिस्तारित भवनों को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

6. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सींलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

7. प्राधिकरण में नियोजन हेतु 76.90 हे0 भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ग्रेटर बरेली योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 517.79 करोड़ के सापेक्ष 120.37 करोड़ (23.25 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

9. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 856.29 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 509.54 करोड़ (59.50 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

10. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

11. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की बरेली महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

12. प्राधिकरण के 02 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है, जिसमें 01 प्रकरण मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना तथा ग्रेटर बरेली आवास योजना में नहर बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागो द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये। प्राधिकरण द्वारा सीमा विस्तार के सम्बन्ध में शासन स्तर से वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये।

13. मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन 40 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

14. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने हेतु टेण्डर स्वीकृति की प्रकिया में है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह जनवरी, 2024 तक कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

17– अलीगढ़ विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 01 परियोजना में समस्त 156 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा 152 भवनों का आवंटन किया गया है तथा 93 भवनों कब्जा लाभार्थियों को दिया गया है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये।

2. निवेश मित्र तथा ओबीपीएएस पोर्टल पर 115 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। इसकी समीक्षा की जाये तथा इनका निस्तारण कराया जाये।

3. निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सींलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

5. प्राधिकरण में नियोजन हेतु 4.91 हे0 भूमि उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

6. प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्ड ऑडिट/सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन का कार्य करा लिया गया है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म को सम्पत्तिवार फिजिकल सर्वे तथा अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन करते हुये सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निर्देश दिये गये कि कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये।

7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 282.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.88 करोड़ (0.31 प्रतिशत) का व्यय किया गया है, जोकि अत्यन्त कम है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

8. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 467.27 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक 284.11 करोड़ (60 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

9. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

10. प्राधिकरण के भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित 06 प्रकरण शासन स्तर पर

लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

11. प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित 09 योजनाओं में से 06 योजनाओं का हस्तान्तरण किया जा चुका है। 03 योजनाओं में विकास कार्य अपूर्ण होने/भूमि विवाद के कारण हस्तान्तरण नही हो सका है। निर्देश दिये गये कि भूमिवाद को समाप्त कराते हुये विकास कार्य पूर्ण कराया जाये।

12. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये तथा ई-फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 16.05.2023 व 03.10.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

18– रामपुर विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 01 परियोजना में 240 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी, उक्त भवनों के निर्माण कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा किया जा रहा है। कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है। निर्देश दिये गये कि निजी विकासकर्ता के साथ बैठक कर समय सारणी तैयार करायी जाये तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये।

2. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु 07 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 06 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। 01 आवेदन नियमानुसार न होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. प्राधिकरण का लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 3.00 करोड़ के सापेक्ष

रू0 0.68 करोड़ (22.53 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 6.68 करोड़ के सापेक्ष अद्यतन रू0 2.13 करोड़ (31.88 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की रामपुर महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

8. 39 राजस्व ग्रामों को प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव पर सम्बन्धित अनुभाग द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये।

9. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर माह जनवरी, 2024 तक कराया जाये ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 11.07.2023 व 28.09.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

19– बुलन्दशहर विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 01 परियोजना में 160 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी, जिसके अन्तर्गत समस्त 160 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 157 भवनों का आवंटन किया गया है एवं 96 भवनों कब्जा लाभार्थियों को दिया गया है। निर्देश दिये गये कि भवनों का आवंटन यथाशीघ्र कराते हुये आवंटित भवनों का कब्जा लाभार्थियों को शीघ्र दिलाये जाने का प्रयास किया जाये।

2. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन के 48 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. 1152 पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. 24 अनिस्तारित फ्लैट्स को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

5. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 38.60 करोड़ के सापेक्ष रू0 11.56 करोड़ (29.95 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

7. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 72.73 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 66.30 करोड़ (91.16 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

8. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

9. प्राधिकरण के 05 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

10. विभिन्न यायालयों में विचाराधीन 61 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालयों में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

11. प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित 03 योजनाओं में से यमुनापुरम आवासीय योजना का हस्तान्तरण किया जा चुका है। गंगा नगर आवासीय योजना एवं ट्रास्पोर्ट नगर व्यवसायिक योजना को नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। निर्देश दिये गये कि उक्त योजनाओं का हस्तान्तरण प्राथमिकता पर कराया जाये।

12. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट तैयार कराकर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन कराया जाये।

13. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

20– खुर्जा विकास प्राधिकरणः–

1. 113 पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना अवशेष है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। खुर्जा विकास प्राधिकरण की कालिंदी कुंज आवास योजना से सटी हुई 6.660 हे0 भूमि को समझौते के आधार पर कय कर लैण्ड बैंक बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 17.27 करोड़ के सापेक्ष रू0 5.14 करोड़ (29.77 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 27.27 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 14.12 करोड़ (51.77 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. प्राधिकरण के 01 प्रकरण (भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित) शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

8. मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के 06 वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

9. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट तैयार कराकर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा विकसित मात्र 01 कालिंदी कुंज योजना के हस्तान्तरण हेतु नगर पालिका परिषद खुर्जा से पत्राचार किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि उक्त योजना का हस्तान्तरण प्राथमिकता पर कराया जाये।

11. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है निर्देश दिये गये कि ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

दिनांक 03.11.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गयाः–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

21– झांसी विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 04 परियोजना में 816 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तथा 2224 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 3035 भवनों का आवंटन किया गया है। निर्देश दिये गये कि भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सारणी तैयार की जाये तथा निर्धारित समय अवधि में भवनों को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये।

2. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन के 23 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मात्र 02 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

4. प्राधिकरण में नियोजन हेतु 6.07 हे0 भूमि उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि 512 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 100.00 करोड़ के सापेक्ष 31.39 करोड़ (31.39 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

6. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 300.88 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक 70.02 करोड़ (23.27 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

7. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

8. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की झांसी महायोजना–2031 का कार्य दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

9. प्राधिकरण के 03 प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित/विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये। बेलदारों के अधिसंख्य पदों के सम्बन्ध में शासन को आख्या उपलब्ध करायी जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित 06 योजनाओं में से 05 योजनाओं का हस्तान्तरण किया जा चुका है। 01 योजना हस्तान्तरण किया जाना शेष है। निर्देश दिये गये कि शेष योजना का हस्तान्तरण शीघ्र कराया जाये।

11. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

12. निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

13. प्राधिकरण के विभिन्न क्रिया–कलापों के समन्वित पर्यवेक्षण हेतु संचालित इन्टीग्रेटेड सिस्टम का आगामी मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुतीकरण कराया जाये।

14. वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई से सम्बन्धित स्थलों के सर्किट को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाये।

22– मथुरा विकास प्राधिकरणः–

1. जनहित पोर्टल पर लम्बित नामान्तरण के 57 तथा रिफण्ड के 35 प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

2. स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. 276 अनिस्तारित फ्लैट्स को निस्तारित किये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायें। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनायी गयी नीति का अध्ययन करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जाये।

4. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के माध्यम से 02 परियोजनायें क्रमशः ग्राम–बाटी व ग्राम–जैंत में प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 06 परियोजनाओं को विकसित किये जाने का का प्रस्ताव है। प्राधिकरण द्वारा कोसी कला में यूपीएसआईडीसी क्षेत्र की 40 एकड़ भूमि में आवासीय योजना भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। निर्देश दिये गये कि मथुरा–वृन्दावन में धार्मिक पर्यटन एवं वृद्धाश्रम इत्यादि की अत्यधिक मांग के दृष्टिगत लैण्ड बैंक सृजित करते हुए नियोजित कालोनियों का विकास किया जाये।

5. प्राधिकरण द्वारा 14 विकसित योजनाओं का लैण्ड ऑडिट कराया जाना प्रस्तावित था, जिसमें कुल 05 परियोजनाओं का लैण्ड ऑडिट कराया गया है। निर्देश दिये गये कि अवशेष 09 योजनाओं का माह दिसम्बर, 2023 तक लैण्ड आडिट का कार्य पूर्ण करा लिया जाये।

6. अवैध निर्माण से सम्बन्धित वादों के नोटिस प्रवर्तन पोर्टल से जारी किये जायें तथा लीगेसी डाटा को भी इस पोर्टल पर अंतरित किया जाये।

7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 143.00 करोड़ के सापेक्ष 31.89 करोड़ (22.30 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित

बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

8. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 470.45 करोड़ के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2023 तक रू0 166.90 करोड़ (35.48 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

9. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

10. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की मथुरा–वृन्दावन महायोजना–2031 में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

11. मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के 80 वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

12. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक के सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

14. प्राधिकरण द्वारा विभिन्न मंदिरों में ऑन लाईन दर्शन के सम्बन्ध में विकसित किये जा रहे मॉडयूल के सम्बन्ध में तिरूपति मॉडल का भी अध्ययन किया जाये।

15. जलाशयों को चिन्हित करते हुए संरक्षण हेतु कार्य–योजना तैयार की जाये।

दिनांक 07.11.2023 को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया :–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गये :–

23– लखनऊ विकास प्राधिकरण:–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 09 परियोजनाओं में 9168 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी, जिसमें से 4512 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 854 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। 4512 भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु समय सारणी तैयार की जाये तथा निर्धारित समय अवधि में भवनों को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाये।

2. आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर डिफाल्टर 09 प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन के 698, रिफण्ड के 237 तथा फ्री–होल्ड के 167 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4. निवेश मित्र पोर्टल पर निरस्तीकरण का प्रतिशत अत्यधिक है, इसकी समीक्षा की जाये।

5. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु 54 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिसमें 37 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी तथा 15 आवेदकों को आपत्ति दी गयी है एवं 02 आवेदन निरस्त किये जा चुके है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

6. प्राधिकरण में नियोजन हेतु 1114.79 हे0 भूमि उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

7. समस्त योजनाओं में लैण्ड ऑडिट/सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 720.79 करोड़ के सापेक्ष 274.45 करोड़ (38.08 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

9. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 1317.04 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 525.36 करोड़ (39.88 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

10. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

11. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन) में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

12 मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं के 647 वादों में प्रति शपथ पत्र समयान्तर्गत दाखिल किया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित 44 योजनाओं में से 37 योजनाओं का हस्तान्तरण किया जा चुका है। 07 योजना हस्तान्तरण किया जाना शेष है। निर्देश दिये गये कि शेष योजना का हस्तान्तरण शीघ्र कराया जाये।

14. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

15. सिटी डेवेलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत चिन्हित अल्पकालिक परियोजनाओं को मूर्तरूप देने हेतु 06 माह के अन्दर कार्यवाही की जाये।

16. LEADS के अन्तर्गत तैयार की जा रही लॉजिस्टक योजना के प्रस्ताव महायोजना में सम्मिलित किया जायें।

17. टीओडी नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1.00 लाख वर्ग मीटर तल क्षेत्र

विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–योजना तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

18. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि फाइलों का डिजिटाइजेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये तथा ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये, जो पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें लिस्ट करते हुए पुनर्गठित कराया जाये।

24– गोरखपुर विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 03 परियोजनाओं में 3036 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी, जिसमें से 01 परियोजना निरस्त कर दी गयी। 02 परियोजना के अन्तर्गत 1500 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 1499 भवनों का आवंटन किया जा चुका है। 1411 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है। खोराबाद आवासीय योजना निर्मित किये जाने वाले दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराया जाये।

2. जनहित पोर्टल पर म्यूटेशन के 114 तथा रिफण्ड 188 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।

3. निवेश मित्र पोर्टल पर निरस्तीकरण का प्रतिशत अत्यधिक है, इसकी समीक्षा की जाये।

4. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु 23 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिसमें 18 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी तथा 04 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 01 आवेदकों को आपत्ति दी गयी है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

5. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

6. सीलिंग से सरप्लस भूमि के ऐसे प्रकरण जिसमें प्राधिकरण को पक्ष नहीं बनाया गया है, के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, अर्बन सीलिंग से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राधिकरण को पक्ष बनवाया जाये तथा वादों की प्रभावी पैरवी की जाये। सींलिग से प्राप्त निर्विवाद भूमि की फेन्सिग कराते हुए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 403.66 करोड़ के सापेक्ष 37.48 करोड़ (9.28 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

8. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 520.90 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 60.66 करोड़ (11.65 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

10. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों

के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

11. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गोरखपुर महायोजना–2031 में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

12. प्राधिकरण के 05 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

13. प्राधिकरण द्वारा कुल विकसित 24 योजनाओं में से 27 योजनाओं का हस्तान्तरण किया जा चुका है। 15 योजना हस्तान्तरण किया जाना शेष है। निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का हस्तान्तरण शीघ्र कराया जाये।

14. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

15. अर्बन स्ट्रीट वेन्डर प्रोजेक्ट का मॉडल बनाते हुए इसे शीघ्र कियान्वित किया जाये।

16. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।निर्देश दिये गये कि ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

25– बस्ती विकास प्राधिकरणः–

1. निवेश मित्र पोर्टल पर निरस्तीकरण का प्रतिशत अत्यधिक है, इसकी समीक्षा की जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 9.02 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.63 करोड़ (7.00 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

4. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 16.33 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 4.18 करोड़ (25.60 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

5. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

6. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की बस्ती महायोजना–2031 में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

7. प्राधिकरण के 04 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये। प्राधिकरण को सीड कैपिटल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अनुभाग द्वारा परीक्षण किया जाये।

8. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।

निर्देश दिये गये कि इसे 03 माह में पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

9. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 21.02.23 व 27.03.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

10. क्वानों नदी के तट पर प्रस्तावित जॉगर्स पार्क के सम्बन्ध में रू.100.00 लाख की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित अनुभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।

दिनांक 08.11.2023 को को निम्नलिखित विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गयाः–

प्रस्तुतीकरण उपरान्त अभिकरणवार निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

26– आजमगढ विकास प्राधिकरणः–

1. निवेश मित्र पोर्टल पर निरस्तीकरण का प्रतिशत अत्यधिक है, इसकी समीक्षा की जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। जिला कारागार की लगभग 11.00 एकड़ भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये तथा साथ ही साथ मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 7.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.79 करोड़ (11.32 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

4. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 7.90 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 3.38 करोड़ (42.78 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षोरापण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. प्राधिकरण का 01 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

9. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2023 व 25.09.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

27— चित्रकूट वि0क्षे0 विकास प्राधिकरणः—

1. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रू0 10.00 करोड़ में से भूमि क्रय की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

2. वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 2.80 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.77 करोड़ (27.50 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

3. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023—24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 1.20 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 1.00 करोड़ (83.33 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

4. वित्तीय वर्ष 2023—24 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षोरापण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

5. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

6 वित्तीय वर्ष 2022—23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

7. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई—फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

8. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 01 बोर्ड बैठक दिनांक 18.08.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

28— मिर्जापुर विकास प्राधिकरणः—

1. निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2023—24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 2.30 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.35 करोड़ (15.32 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

4. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 12.81 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 1.74 करोड़ (13.58 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

5. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

6. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की मिर्जापुर महायोजना–2031 में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

7. प्राधिकरण के 05 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

8 वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

9. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 22.05.2023 व 08.04.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

29– कुशीनगर वि0क्षे0 विकास प्राधिकरणः–

1. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि कुशीनगर में पर्यटन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 26.16 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.43 करोड़ (1.65 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

3. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह सितम्बर, 2023 तक रू0 0.94 करोड़ की प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि बोर्ड बजट यथाशीघ्र अनुमोदित कराया जाये तथा प्राधिकरण की गतिविधियों को ब

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षोरापण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

5. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

6. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

7. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

8. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में कोई बोर्ड बैठक नहीं करायी गयी। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

30– उरई विकास प्राधिकरणः–

1. निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

2. प्राधिकरण में 1.41 हेक्टेयर भूमि नियोजन हेतु उपलब्ध है। निर्देश दिये गये कि लैण्ड बैंक बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 8.43 करोड़ के सापेक्ष रू0 4.11 करोड़ (48.75 प्रतिशत) का व्यय किया गया है, जोकि संतोषजनक है, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

4. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 13.88 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 9.73 करोड़ (70.10 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है, जोकि संतोषजनक है।

5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षोरापण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

8. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 व 20.07.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

31– बागपत विकास प्राधिकरणः–

1. निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

2. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 5.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.1 करोड़ (0.20 प्रतिशत) का व्यय किया गया है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 40 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं

आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

4. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 23.80 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 5.41 करोड़ (22.73 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित की जाये।

5. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

6. अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की बागपत महायोजना–2031 में त्रुटियों का निवारण करते हुए इसे दिनांक 15.11.2023 तक पूर्ण कराते हुए, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।

7. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

8. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य 03 माह पूर्ण कराते हुए, ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

9. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 02 बोर्ड बैठक दिनांक 26.09.2023 व 13.10.2023 को सम्पन्न हुई है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

32– फिरोजाबाद विकास प्राधिकरणः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 के घटक के अन्तर्गत 01 परियोजना में 800 भवनों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी थी, जिसके सापेक्ष 568 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा इन भवनों का आंवटन किया जा चुका है। भवनों को 31.12.2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। निर्देश दिये गये कि भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु 03 आवेदन प्राप्त हुये थे, जिनको पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। निर्देश दिये गये कि स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु भवनों का सर्वेक्षण कराया जाये तथा भवन स्वामियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

3. प्राधिकरण में लैण्ड बैंक शून्य है। निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत परियोजना का कियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाये।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण विकास हेतु प्राविधानित बजट रू0 16.77 करोड़ के सापेक्ष प्रगति शून्य है। माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत की उपलब्धि सुनिश्चित की जाये, जिन कार्यो हेतु अभी तक निविदाएं आमंत्रित नही की गयी है उन कार्यो के लिये माह दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक दशा में निविदाएं आमंत्रित कर ली जाये।

5. अर्जित आय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां रू0 27.92 करोड़ के सापेक्ष माह सितम्बर, 2023 तक रू0 11.14 करोड़ (39.90 प्रतिशत) प्राप्तियां की गयी है। निर्देश दिये गये कि माह दिसम्बर, 2023 तक बजट के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्तियां सुनिश्चित

की जाये।

6. रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी, निर्देश दिये गये कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत प्रथम शासनादेश की तिथि से अद्यतन 300 वर्ग मी0 एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों के स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है, का सत्यापन कराया जाये।

7. प्राधिकरण के 02 प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित अनुभागों द्वारा प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाये।

8. वित्तीय वर्ष 2022–23 की आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाये।

9. प्राधिकरण में पत्रावलियों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देश दिये गये कि ई–फाइलिंग सिस्टम लागू कराया जाये।

10. प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 में 01 बोर्ड बैठक आयोजित की गयी है। निर्देश दिये गये कि नियमानुसार प्रत्येक त्रैमास पर नियमित रूप से बोर्ड बैठक आयोजित की जाये।

33– अन्य निर्देश :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभाग द्वारा कराये जाने वाले वाह्य विकास कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित करायी जाये।

2. ओबीपीएएस पोर्टल के अन्तर्गत आटो रिजेक्शन का मॉडयूल तत्काल लागू कराया जाये।

3. अवैध निर्माण से सम्बन्धित वादों समस्त कार्यवाही ऑन लाईन 'प्रवर्तन' पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाये तथा समस्त अभिकरणों द्वारा 02 माह के अन्दर लिगेसी डाटा भी फीड कराया जाये।

4. अभिकरणों द्वारा समस्त आडिटेड बैलेन्सशीट का बोर्ड से अनुमोदन कराया जाये।

5. प्राधिकरणों द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से आंतरिक आडिट कमेटी का गठन किया जाये तथा आडिटेड बैलेन्सशीट को बोर्ड में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण उक्त कमेटी द्वारा कराते हुए, इसकी रिपोर्ट भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
लखनऊ : दिनांक : 29 नवम्बर, 2023

उक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, नगर भूमि एवं सीमारोपण विभाग, उ0प्र0।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
11. बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally Signed by अरुण कुमार
Date: 29-[illegible]-2023 15:59:48
Reason: Approved

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।